न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

.......पप्पूसिंह.......... बनाम ...सरकार .. वगेरहा

वाद संख्या.....120...... / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
10.09.2021	यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
27/9/21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. प्रबंधक पत्रावली दिनांक 3.11.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ — जारी 5935 10-9-21
3/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ......छापराडी...... में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक ...10/12/21......को पेश हो। जवाब दावा प्राप्त हुआ/ शामिल हो (हस्ताक्षर) शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
10/02/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पैरोकार सरकार उपस्थित। वाद पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वाद को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जयपुर
बइजलास श्री विस्वामित्र मीना RAS
दावा सं0 120/2021

पप्पू सिंह धानका पुत्र स्वर्गीय भौरीलाल धानका, जाति धानका, निवासी जयसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री महेश शर्मा नयावासः—वकील वादी

निर्णय

दिनांक 10/02/2022

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण मे अंकित किया गया है कि ग्राम ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में खसरा नं0 187 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 189 रकबा 0.87 हैक्टेयर, 190 रकबा 0.94 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.8300 हैक्टेयर साबिक खसरा नं0 142 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 143 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा अनुसार भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के खातेदारी इन्द्राज में वादी के पिता की जाति धानका के स्थान पर हरिजन तथा वादी के पिता का नाम भौरीलाल पुत्र सोहनलाल के स्थान पर भौरीलाल पुत्र शिवराम त्रूटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। जो कि वरवक्त इन्द्राज खातेदारी अंकन के समय वादी के पिता का नाम भौरया पुत्र सोन्या इन्द्राज किया गया एवं वादी के पिता की जाति का इन्द्राज सहवन से भूलवश जाति धानका के स्थान पर जाति हरिजन कर दिया गया। उसके उपरांत लिपिकिए भूलवश वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम भौरीलाल पुत्र शिवराम अंकित कर दिया गया। जो कि लिपिकिए भूलवश त्रूटिपूर्ण इन्द्राज होता आया है, जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम भौरीलाल पुत्र सोहनलाल एवं जाति धानका है। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड दुरूस्त होना चाहिए। वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड जमाबंदियों में वादी के पिता का नाम त्रूटिपूर्ण व गलत अंकित है तथा गलत व सहवन से त्रूटिपूर्ण इन्द्राज है, जो कि काबिले दूरूस्तीकरण है तथा वादग्रस्त खसरा नम्बर की आराजीयात के खातेदारी इन्द्राज को शुद्धिकरण कराने व गलत इन्द्राज को दूरूस्ती बाबत घोषणा कराने का वादी अधिकारी है, जिससे अन्य सहखातेदारों का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों अनुसार पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा कमांक/एलआर/2021/981 दिनांक 28.09.2021 के तहत प्रस्तुत जवाब बिन्दूवार जॉच रिपोर्ट तथा पत्रावली में शामिल कर दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड के खातेदारी में वादी प्रार्थी के पिता के नाम व जाति का राजस्व इन्द्राज त्रूटिपूर्ण है। जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, विचाराधीन प्रकरण में निर्णय किया जाकर ग्राम जयसिंहपुरा में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 187,189,190 के राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण अंकित खातेदारी भोरीलाल पुत्र शिवराम जाति हरिजन के स्थान पर भौरीलाल पुत्र सोहनलाल जाति धानका अनुसार खातेदारी दर्ज करने के आदेश किये जाते है एवं तदानुसार प्रार्थी का राजस्व इन्द्राज खातेदारी दूरूस्त करने के आदेश तहसीलदार को दिये जाते है। भूमिधारी तहसीलदार को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ